

भारत में मृत्युदंड: एक व्यवस्थित विश्लेषण

दीपक जाटव¹; ज्योति पांचाल²

¹स्नातकोत्तर छात्र, विधि एवं कानूनी अध्ययन संस्थान, सेज विश्वविद्यालय इंदौर

²सह. प्राध्यापक, विधि एवं कानूनी अध्ययन संस्थान, सेज विश्वविद्यालय इंदौर

सारांश

भारत में मृत्युदंड (फांसी की सजा) एक अत्यधिक विवादास्पद मुद्दा है। यह भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के अंतर्गत कुछ विशेष अपराधों के लिए अधिकतम दंड के रूप में लागू होता है। इसके समर्थक इसे अपराध निवारण का एक प्रभावी साधन मानते हैं, वहीं इसके विरोधी इसे अमानवीय और जीवन के अधिकार का उल्लंघन मानते हैं। यह अध्ययन मृत्युदंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कानूनी पहलू, सामाजिक प्रभाव, और पक्ष-विपक्ष के तर्कों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्दावली

अत्यंत दुर्लभ मामले, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, फांसी, दया याचिका, अनुच्छेद 72 एवं 161, निवारण, सामाजिक न्याय

1. परिचय

मृत्युदंड भारतीय दंड व्यवस्था का सबसे कठोर दंड है, जो विशेषतः गंभीर अपराधों के लिए लागू होता है, जैसे:

- हत्या (धारा 302)
- डकैती के दौरान हत्या (धारा 396)
- आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120B)
- भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध (धारा 121)
- सफल विद्रोह का दुष्प्रेरण (धारा 132)

इस सजा को लागू करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है और संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत इसे क्षमा या आजीवन कारावास में बदला जा सकता है।

मृत्युदंड के उद्देश्य

- **निवारण** – संभावित अपराधियों को रोकना
- **प्रतिशोध** – पीड़ितों को न्याय देना
- **अपराध में कमी** – जघन्य अपराधों में रोक
- **सामाजिक सुरक्षा** – समाज को सुरक्षित बनाना

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में मृत्युदंड की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ब्रिटिश शासनकाल में इसे भारतीय दंड संहिता (1860) में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भी इस व्यवस्था को बनाए रखा गया।

3. संवैधानिक दृष्टिकोण

संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, फिर भी 'दुर्लभतम में दुर्लभतम' मामलों में मृत्युदंड को वैध माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में प्रतिपादित किया।

4. मृत्युदंड के पक्ष और विपक्ष में तर्क

पक्ष में तर्क

- अपराध निवारण का प्रभावी साधन
- पीड़ितों को न्याय की अनुभूति
- समाज में भय का वातावरण
- देश की सुरक्षा सुनिश्चित

विपक्ष में तर्क

- अमानवीय और क्रूर
- निर्दोष को गलत सजा मिलने की आशंका
- अपरिवर्तनीय परिणाम
- अपराध रोकने में प्रभावी प्रमाण नहीं

5. कानूनी ढांचा और प्रावधान

प्रमुख कानून

- भारतीय दंड संहिता (IPC) – धारा 121, 302, 303, 305, 376A
- अन्य कानून – सशस्त्र बल अधिनियम, वायुसेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) – धारा 354(5)
- क्षमादान का अधिकार – राष्ट्रपति (अनु. 72), राज्यपाल (अनु. 161)

महत्वपूर्ण सिद्धांत

- 'दुर्लभतम में दुर्लभतम' सिद्धांत
- न्यायाधीश का विवेकाधिकार
- मानसिक स्वास्थ्य की जांच
- सजा का औचित्य और विशेष कारण

6. साहित्य समीक्षा

- जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश (1980) – मृत्युदंड की संवैधानिकता की पुष्टि
- बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) – दुर्लभतम सिद्धांत
- राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश (1979) – सजा का संतुलन
- Project 39A – आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में मृत्युदंड की अधिकता
- Indiaspend (2024) – 564 कैदी मृत्युदंड की प्रतीक्षा में

7. विश्लेषण

- संवैधानिक रूप से वैध, किंतु विवादास्पद
- कानूनी प्रक्रिया – IPC धारा 53, CrPC धारा 368
- उपयुक्त अपराध – IPC, NDPS, POCSO, SC/ST कानून, सती प्रथा अधिनियम आदि
- आर्थिक पहलू – 74.1% मृत्युदंड पाने वाले कैदी गरीब वर्ग से

8. निष्कर्ष

मृत्युदंड पर भारत में गंभीर बहस चल रही है। यह स्पष्ट है कि यह सजा केवल असाधारण और अत्यंत जघन्य अपराधों में ही लागू की जानी चाहिए। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं बल्कि समाज में संतुलन और पुनर्स्थापन भी है। न्याय को अधिक मानवीय बनाने के लिए वैकल्पिक सजाओं पर विचार करना आवश्यक है।

9. सुझाव

- कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार
- मृत्युदंड को अंतिम उपाय मानना
- दया याचिका प्रक्रिया में पारदर्शिता
- समाज को पुनर्वास की ओर प्रेरित करना

संदर्भ

- भारतीय दंड संहिता (IPC)

- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)
- सेना अधिनियम (1950)
- सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय
- Project 39A रिपोर्ट
- Indiaspend डेटा (2024)